निर्माण संस्था, खण्डेल जयपुर राजस्थान

बालिका संसद (Girls Parliament) परिचय

निर्माण संस्था, खण्डेल की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। तब से ही संस्था द्वारा अपने खण्डेल मुख्यालय से गरीबोत्थान (सामाजिक कार्यों) का संचालन निरंतर जारी है। वर्तमान अनेक कार्यक्रमों के अलावा एक नया अभिनव कार्यक्रम वर्ष 2018–19 से **"बालिका संसद"** का शुभारम्भ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य समूह संस्था से जुड़े किशोरी बालिका समूहों की समस्त बालिकाएं जिनकी उम्र 12 से 20 वर्ष की है।

उद्देश्य इस संसद का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की समस्याओं की पहचान, आत्मविश्वास को बढ़ाने, संगठित रहने, अपने परिवार में रहते हुए मान–सम्मान को बढ़ाने, उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु अग्रेसित करना, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सकारात्मक सामूहिक भविष्य के लिए कार्य करना तथा अन्य बालिकाओं को बालिका संसद से जोड़ना मुख्य उद्देश्य होगा।

रणनीति कार्यक्षेत्र के अनेक बालिका समूहों में लगभग 400 से अधिक बालिकाएं है, प्रत्येक 10 में से 1 सांसद चुनी जाकर कुल 40 सांसदों का हाऊस होगा। सभी सांसद मिलकर मंत्री परिषद् का गठन करेंगे। मंत्री परिषद् में कुल प्रधानमंत्री सहित 7 सदस्यों का मंत्री मण्डल होगा, जिनकी देखरेख में संसद का संचालन होगा। 1 प्रधानमंत्री, 2. अध्यक्ष 3. वित्त मंत्री, 4. योजना मंत्री, 5. सामाजिक न्याय मंत्री, 6. संगठन एवं जनसंपर्क मंत्री, 7. शिक्षा मंत्री।

निर्वाचन सांसदों का निर्वाचन सर्वसम्मति से नहीं होने पर गुप्त मतदान से होगा।

कार्यकाल संसद का गठन प्रत्येक वर्ष मार्च/अप्रेल में 1 वर्ष के लिए किया जायेगा। प्रत्येक 2 माह बाद 40 सासंद दो दिन (आवासीय) बैठक करेंगे। आवश्यक होने पर विशेष फिल्ड दौरा करेंगे तथा बालिका विकास/संगठन का कार्य करेंगे। किशोरी बालिकाओं के विकास हेतु आवश्यक सुझाव एवं योजना बनाकर राज्य सरकार को दे सकेंगे एवं जरूरी होने पर संपर्क करेंगे।

प्रस्ताव सभी प्रस्ताव बहुमत आधार पर पारित किये जायेंगे।

बैठकों का संचालन निर्माण संस्था, खण्डेल प्रांगण या बालिका संसद द्वारा निश्चित किया गया अन्य कोई स्थान।

बैठक एवं कोष बालिका सासंदो को बैठक स्थल तक आने–जाने का वास्तविक किराया रेल/बस सहित आवासीय सत्र के समय खाने, रहने तथा आवास के सभी

खर्चे न लाभ न हानि आधार पर निर्माण संस्था, खण्डेल के कोष से होगा।

संसद द्वारा लिये गये निर्णय की **क्रियान्विति स्वरूप एक लाख रूपये** का अतिरिक्त वार्षिक कोष होगा, जो खर्च नहीं होने की स्थिति में अगले वर्ष स्वतः समायोजित हो जायेगा। संसद संचालन के सभी खर्चों के लिए निर्माण संस्था, खण्डेल से कोष उपलब्ध कराया जायेगा एवं बिल वाउचर रिपोर्ट आदि संस्था के लेखों में रहेंगे।

वैतनिक सचिव संसदीय कार्यों के संचालन हेतु एक विशेष महिला कार्मिक होगी जो संसदीय कार्यों का लेखा–जोखा रखेंगे।

निर्माण संस्था, खण्डेल 2019

Girls Parliament an Introduction

Since the establishment of Nirman Sanstha, Khandel in the year 1986, the organization has been continuously working social work for rural poor uplifment, from its headquarter village Khandel. In addition to the present many programs, a new innovative program is being launched from the year 2018-19 to the BALIKA SANSAD (Girls Parliament). The target of the program is to provide a platform to 400 girls from the adolescent girls group who are between 12 and 20 years of age group.

Objectives The main purpose of this Parliament is to identify the problems of the girls to increase self-confidence, stay organized while living in their families, enhance their honor, forwarding them for achieving higher education, health and hygiene, work for the positive future and connecting other girls with the Parliament. The main objective will be.

Strategy There are about 400 girls in the different villages groups among working area. Out of 10 girls will be elected 1 MP and total 40 MPs in the house formed. All MPs will be formed by the Council of Ministers. There will be a Cabinet of 7 members including the Prime Minister in the Council of Ministers, under whose supervision the Parliament Will be governed by 1. Prime Minister, 2. Finance Minister, 3. Planning Minister, 4. Minister for Parliamentary Affairs, 5 Minister of State, 6. Minister of Public Relations, 7. Minister of residence and rehabilitation

Elections Secret voting procedure will be adopted if MPs' election is not unanimous.

Tenure Parliament will be formed every year in March-April for one year. After every 2 months 40 MPs will meet for two days and if necessary, will

	undertake special field visits also. Work for girls development / organization and how can empowered to teenage girls is motto. If any important decision taken by parliament can submit to our government, and if necessary will contact.
Proposal	All proposals will be passed on a majority basis.
Conduct of meetings	Parliament meeting will be conduct at NSK Campus or where ever majority of Parliament board decides.
Meeting and funding	For the parliament activities all expenses will be provided on no loss no profit basis like travel to MPs (to and fro) and boarding loading will be provided from Nirman Sanstha, Khandel account. The implementation of the decision taken by Parliament will be an additional annual fund of Rs. 100000. If this fund not expends in same year then it will transfer to next year automatically. Funds will be provided from all the expenses for the operation of the Parliament, from the Nirman Sanstha, Khandel, and the bill vouchers & all reports will be in the NS Khandel.
Women Worker	There will be a full time women worker for to conduct of all parliamentary works, who keep & write of all reports.

निर्माण संस्था, खण्डेल जयपुर राजस्थान

बालिका संसद, खण्डेल

निर्माण संस्था, खण्डेल द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं अनेक कार्यक्रमों में एक अभिनव कार्यक्रम 29 मार्च, 2018 से शुरू हुआ है ''बालिका संसद'' कार्यक्षेत्र में अनेक किशोरी बालिकाओं की साथ जागरण एवं सशक्तिकरण का कार्य विगत 16 वर्षों से जारी है।प्रति वर्ष बालिका मेले का आयोजन होता है, अनेक विचार गोष्ठी होती है, मासिक बैठकें होती है। बालिकाओं ने अपने विकास में कुछ बाधाएं/परेशानियां बताई जिनसे वो सभी परेशान रहती हैं और इन्हीं बाधाओं के निराकरण के उद्देश्य से इस अभिनव कार्यक्रम ''बालिका संसद'' का कार्यक्रम बना। परेशानियां जैसे–

- घर से स्कूल/कॉलेज दूर है तो पढ़ने नहीं जाने देते।
- हमारे उपर पूरी निगरानी रखी जाती है, अकेले आस–पडौस भी नहीं जा सकती।
- हमारे जीवन को परिवार की इज्जत से जोड़ते हैं।

- हमें घर परिवार के काम में भी खूब लिया जाता है।
- 15–16 वर्ष की उम्र के बाद परिवार में शादी की बातें होने लग जाती है।
- 18 वर्ष बड़ी मुश्किल से पूर्ण होते हैं,घरवाले जल्दी से जल्दी शादी करके मुक्त होना चाहते हैं।
- प्रत्येक गतिविधी पर घर में टोका–टाकी आम है।
- उच्च शिक्षा या कॉलेज तक पहुँचने का सामाजिक माहौल नहीं है।
- स्कूल/कॉलेज में अनेक तरह की प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है।
- पुरूष वर्ग से बात करना तो घरवालों को पचता ही नहीं है।
- स्कूल/कॉलेज/घरेलु कार्य या आने जाने में थोड़ा भी विलंब होता है तो हमें सही होने का संतोषप्रद जवाब देना पड़ता है नही तो निगरानी बढ़ जाती है।
- यहाँ तक की छोटा भाई भी हमें गाईड करना चाहता है जैसे हमें कुछ नहीं आता।
- घर में मां–बाप के अलावा किसी का समर्थन नहीं मिलता है।

उक्त कारणों/परेशानियों के मध्यनजर रखते हुए किशोरी बालिकाओं के लिए कुछ अलग से नया करने विचार बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ''किशोरी बालिका संसद'' की प्रथम शुरूआत खण्डेल में हुई।

''बालिका संसद'' अपने आप में एक अजूबा कार्यक्रम है। खण्डेल को सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में देखते हुए बालिका संसद की शुरूआत हुई। जरूरत पड़ने पर आवश्यकतानुसार बदलाव कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम किया जायेगा। इस अभिनव कार्यक्रम को सफल बनाने में बालिकाओं की अहम् भूमिका रहेगी। यह कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर खण्डेल में शुरू किया जा रहा है, बालिकाओं के भविष्य के लिए यह बहु आयामी कार्यक्रम होगा। निर्माण संस्था, खण्डेल ने अब तक अनेक नये–नये कार्य अपने हाथ में लिये हैं अधिकांश में आशा से अधिक सफलता मिली है। निदेशक निर्माण संस्था, खण्डेल के फरवरी 2018 में इंग्लेण्ड यात्रा का यह तोहफा हमारी बालिकाओं को समर्पित है। खण्डेल लाईट, इंग्लेण्ड द्वारा इस अभिनव परियोजना हेतु वांछित बजट समय–समय पर उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा।

बालिका संसद के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

(सभी सांसदों व मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निर्वाचन तिथि से 1 वर्ष के लिए रहेगा)

1. प्रधानमंत्री	– सत्र बुलाने की तिथि का निर्धारण अध्यक्ष की सहमति से करना। – किशोरी बालिकाओं की सुविधा/अधिकार के बारे में मंत्रिपरिषद में चर्चा कर निर्णय करना। – बालिका संसद एवं सदस्यों की प्रतिष्ठा/उत्साह बढ़ाने को काम करना। – सभी सदस्यों की आवाज को सुनकर उचित दिशा–निर्देश देना।
2. अध्यक्ष	– प्रधानमंत्री की सहमति से सत्र बुलाना। – सत्र प्रारम्भ से लेकर समापन होने तक सभी व्यवस्थाओं को देखना एवं उचित प्रबंधन – बैठकों का विवरण रखना एवं जरूरत पड़ने पर संसदीय कार्यों में उनका उपयोग करना। – सत्र के समय अनुशासन बनाये रखना।
3. वित्त मंत्री	– संसद के लिए किये गये निर्णयों की क्रियान्विती हेतु वित्त व्यवस्था करना। – सत्र के समय सांसदों के हितों के अनुरूप व्यवस्था आदि करना।
4. योजना मंत्री	– संसद में लिए गये निर्णयों की पालना करना/कराना।

5. सामाजिक न्याय मंत्री – किशोरी बालिकाओं संबंधी हितों की रक्षा करना एवं अनदेखी के समय मध्यस्थता करना / सम्मानजनक कार्यों का संपादन करना।

6. संगठन/जनसंपर्क मंत्री – 12 से 20 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को संसद से जोड़ना एवं उनकी बातों को संसद तक पहुँचाना।
– सदस्यों में उत्साह बनाये रखना तथा नये सदस्यों के प्रवेश के लिए काम करना।

7. शिक्षा मंत्री –शिक्षा का प्रचार–प्रसार/शैक्षणिक भ्रमण एवं प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

नोटः–
– किसी भी तरह की व्यवस्था, वित्त (धन) पत्राचार, रिकार्ड, स्थान निर्धारण, आवास–प्रवास, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था के लिए निर्माण संस्था, खण्डेल से संपर्क बनाये रखना।
– एक महिला कार्मिक **(सचिव)** जो बालिका संसद की सदस्या नहीं होगी, परन्तु बालिका संसद संबंधी रिपोर्ट रखना, रिपोर्ट लिखना, बालिका संसद, मंत्रीपरिषद एवं सांसदों से सीधा मधुर व्यावहार रखना एवं संसदीय कार्यों के लिए निर्माण संस्था, खण्डेल से सभी कार्यों के संचालन के लिए मध्यस्थता करना।
– पूर्णकालिक वैतनिक कार्यकर्त्ता संस्था व संसद के बीच एक पुल का कार्य करेगी।
– संबंधों में मधुरता एवं प्रगाढ़ता बनाये रखना इस कार्यकर्त्ता का मुख्य उद्देश्य होगा जो संसद के पूरी तरह से संपर्क में रहेगी।
– हाऊस किसी भी परिस्थिति में 41 सांसदों से अधिक का नहीं होगा।

निर्माण संस्था, खण्डेल 2019

बालिका संरक्षण कैसे / Girls protection how?

वर्तमान चुनौतियां / Present Challenges

1. माता पिता के मार्गदर्शन में अच्छा जीवन जिया जा सकता है उन पर भरोसा रखें एवं उन्हें सम्मान दें	1. In parents guidance a good life can be lived.
2. सामाजिक बुराईयों की जानकारी करनी है	2. Awareness towards social evils
3. "जियो और जीने दो" की भावना के अनुरूप बालिका के लिए अच्छा सामाजिक माहौल बने	3. " live and let live " sense of analog girls should get good social environment
4. कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जन जागरण करना	4. Public awareness against virgo

5. बाल विवाह की रोकथाम हो
6. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना का प्रचार प्रसार करना
7. दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है
8. बालिकाओं के विरुद्ध आपराधिक प्रकरणों का जल्द निपटारा एवं उचित संरक्षण की व्यवस्था हो
9. बालिकाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार एवं सकारात्मक सामाजिक नजरिया बने
10. शारीरिक बदलाव की जानकारी बालिकाओं द्वारा आपस में बांटना

ख. बालिकाओं के विकास के लिए सहायक कारक

1. संगठन में रहना है 'संगठन में ही शक्ति है'
2. बालिका बिना समाज नहीं अर्थात बालिका समाज की पोषक है
3. बालिकाओं को समाज में अपनी उपस्थिति जताने के लिए अच्छी शिक्षा अच्छा व्यवहार अच्छे कार्य को महत्व देना चाहिए क्योंकि बालिका के बिना समाज की कल्पना अधूरी है
4. बालिका संरक्षण के लिए सामाजिक उपाय
5. लिंगानुपात लगभग बराबर हो
6. बालिकाओं को अपने स्वास्थ्य की जानकारी देना
7. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक बचत खाता आवश्यक है उसमें अपनी समस्त बचत जमा करायें
8. उच्च शिक्षा के लिए बैंक ऋण मिलता है
9. सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सकारात्मक विचारों का होना आवश्यक है।

feticide
5. Child marriage should stopped
6. Save daughter teach daughter in the spirit of the dissemination
7. Dowry is a social evil
8. Settlement of criminal cases against the girls soon and arrange reasonable protection system
9. Respectable behavior and positive social view towards girls
10. Knowledge sharing about body changing in girls each other

B. Girls for the development of assistant factor

1. organization for "organization in the same power'
2. Girls without society not that girl society of nutrient
3. Girls to society its presence in the show good for education good behavior good work value should because girls without society imagine incomplete
4. Social improvement to save daughters
5. Sex ratio should be equall
6. To give information regarding their health to each other girls
7. To open a saving bank account in any nationalized bank and to deposit all savings in it
8. Bank loan available for higher education
9. Positive changes to bring on the ability positive thoughts be